विचार बिन्दु

दुरात्मा के लिए देश भक्ति अंतिम शरण है। –जॉन्सन

क्या परिसीमन पर लगी रोक को सन् 2026 से 25 वर्ष और नहीं बढ़ाया जा सकता?

संविधान के अनुसार परिसीमन आबादी के आधार पर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था है कि जनगणना के बाद सीटों का एडजस्टमेण्ट नये सिरे से होगा। परिसीमन (Delimitation) एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है जिसके अनुसार किसी देश या राज्य में चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को पुन: निर्धारित किया जाता है, ताकि जनसंख्या में बदलाव को ध्यान में रखते हुये चुनावी क्षेत्रों को न्याय संगत रूप से विभाजित किया जा सकते, फलस्वरूप सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो सके। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक का वोट समान मूल्य का हो। यह कार्य परिसीमन आयोग, जो एक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 82 व अनुच्छेद 170 के अनुसार किया जाता है, इसकी सिफारिश बाध्यकारी है, इसके आदेशों में कोई दखल नहीं दे सकता। कोर्ट का भी दखल नहीं है। अनुच्छेद 81 व अनुच्छेद 82 को समझने के लिये हमें इनमें जो संशोधन हुये हैं, उन्हें गइराई से समझना होगा विशेषकर संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 आदि।

चुनावी प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनने के लिये परिसीमन जरूरी है। प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के बदलाव के कारण, सभी को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। हर वर्ग के नागरिक को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिलना चाहिये। परिसीमन के समय अनुसूचित वर्ग के हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर सीटों का निर्धारण होना चाहिये।

यह निर्विवाद कथन है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा की सीटें पुन: नये सिरे से तय होती है। एक विचार धारा के अनुसार सत्तर के दशक में एमरजेन्सी के समय उस समय की कांग्रेस सरकार ने परिसीमन के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों का आवंटन रोक दिया था ताकि परिवार नियोजन की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व के विषय पर कोई नुकसान नहीं हो। उस समय यानी 2001 में वाजपेयी सरकार थी। परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमायें नये सिरे से निश्चित की गई; किन्तु दक्षिण में विरोध के कारण सीटों में बदलाव नहीं हो सका। उत्तर व दक्षिण के राज्यों में टकराव न हो, इसे रोकने के लिये 2002 में संविधान संशोधन के माध्यम से सीटों का परिसीमन 2026 तक रोक दिया गया। इन संशोधनों से यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद ही परिसीमन प्रक्रिया होगी। इतने समय बाद अब प्रक्रिया प्रारम्भ की जाना प्रस्तावित है। इतने समय में आबादी और निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य असंतुलन बढ़ा है, यही आज उत्तर व दक्षिण के राज्यों में टकराव का कारण है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उत्तर के राज्यों के मुकाबले में उनकी सीटों परिसीमन से कम हो जायेंगी। उनका कहना है कि आबादी नियंत्रण की योजना में सहयोग देने के कारण उन्हें यह सजा दी जा रही है जो उचित नहीं है।

दक्षिण के लगभग सभी राज्य डीएमके की लीडरशिप में साथ खड़े हैं और परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वहीं उत्तर के हिन्दी बोलने वाले राज्य बंटे हुये हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तामिलनाडू को सहयोग दे रहे हैं और आरजेडी परिसीमन की प्रस्तावित प्रक्रिया का समर्थन कर रही है। तामिलनाडू के सीएम एम के स्टालिन की अध्यक्षता में एक संयुक्त कार्यवाही समिति का गठन हुआ है, उसने परिसीमन में पारदर्शिता की मांग की है। समिति ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है कि अगले 25 साल तक लोकसभा की संख्या जो 543 है उसे यथावत रखा जावे।

यहाँ यह कहना उचित होगा कि अब तक 4 परिसीमन आयोग 1952, 1962, 1972 व 2002 में बने हैं। उपरोक्त कथन के अनुसार यह स्पष्ट है कि 2026 तक सीटों की संख्या फ्रीज करने का प्रावधान संवैधानिक है। इससे यह भी निश्चित हो चुका है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर सीटों का नये सिरे से समायोजन/समन्वय/सुधार/सामंजस्य (Adjustment) होगा। उपरोक्त लिखे गये तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 82 भी यही संदेश देता है कि जनगणना के बाद ही एडजस्टमेन्ट होगा। साथ ही यह भी सिद्धान्त स्वीकार किया गया है अनुच्छेद 81 के तहत् एक नागरिक एक वोट और एक कीमत का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है।

जैसा ऊपर लिखा है कि परिसीमन आबादी के साथ जुडा हुआ है। 1971 में जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 543 थी उस समय आबादी 55 करोड़ थी। अब आबादी 145 करोड़ हो चुकी है अत: ये सीटें 850 तक हो सकती हैं। सम्भवत: यही कारण है कि लोकसभा की नई बिल्डिंग में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। आबादी बढ़ने से एक एमपी पर 20 से 28 लाख तक की आबादी का भार है। कुछ नेता तो यहां तक कहते हैं कि हमारे एमपी ऑवर टाइम काम करते हैं। टीवी पर हम लोकसभा की कार्यवाही देखते हैं उससे तो यह प्रतीत होता है कि हमारे माननीय सांसदों पर श्रम कानून लागू होना चाहिये जहां यह माना गया है कि "काम नहीं तो दाम नहीं (No Work No Wages)"।

क्या परिसीमन पर लगी रोक को 25 वर्ष और नहीं बढ़ाया जा सकता।नेताओं के संग वार्ता व चर्चा कर समस्या का सर्वमान्य हल तलाशना ही देश हित में होगा। भारत विकास के मार्ग पर है, उसकी गति नहीं रूकनी चाहिये। हमें भारत को विकसित देश बनाना है। जहाँ देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय समता, समानता व समरसता से प्राप्त हों।

परिसीमन की समस्या वास्तविक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिसीमन के कारण उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण के राज्यों की सीटें कम होंगी। परिसीमन का यह विवाद कहीं क्रूर रूप धारण न करले। इस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है। नई जनगणना की कार्यवाही प्रारम्भ होनी चाहिये ताकि परिसीमन की कार्यवाही शीघ्र हो सके। यह विवाद बहुत समय से रूका हुआ है, इसे विस्फोटक होने से रोकना होगा। इसका हल खोजना होगा। परिसीमन विवाद का हल तो ढूँढना ही होगा। विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिये हैं। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की रणनीति पर चलते हुये, एक नया नारा दिया है, 'जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक'।

केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि दक्षिण के राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिये उन्हें दण्डित नहीं किया जावेगा। उनकी लोकसभा सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। देश के गृहमंत्री अमित शाह भी सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रोरेटा के अनुसार राज्यों में सीटों का वितरण होगा। किसी भी राज्य में सीटें कम नहीं होंगी।

परिसीमन की समस्या को निपटने के कई विकल्प सुझाये जा रहे हैं। संसद 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित कर चुकी है। इसके योजना के साथ लागू किया जावे। जनगणना हो और उससे प्राप्त आंकडों के आधार पर बाद में विशेषज्ञों से सलाह लेकर परिसीमन किया जावे। 33% सीटें बढ़ाई जावें। महिला आरक्षण से बढ़ने के बाद संसद की सीटें 543 से 722 होगी। इन्हें गणना की सरलता के लिये 725 किया जावे। ये सीटें 15 वर्ष के लिये बढ़ाई जावे। संसद चाहे तो 15 वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह ध्यान रहे कि एससी व एसटी के आरक्षण की 33% सीटें इस वर्ग की महिलाओं के लिये निश्चित की जावे।

एक अन्य प्रक्रिया में वोटर संख्या से सीट बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्टालिन के प्रस्ताव पर भी विचार किया जावे। इसके अनुसार लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या 543 से सीमित किया जावे और आगे आने वाले 25 वर्षों तक सीटें न बदलें। इस संबंध में केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया जा सकता है, जिस पर सदन में चर्चा हो। कुछ विशेषज्ञों ने और भी सुझाव दिये हैं। इन सब पर चर्चा होनी चाहिये। सभी सुझावों का अधार होगा कि दक्षिण के राज्यों की सीटें कम न हों। ऐसा कोई कदम न बढ़ाया जावे जिससे ट्राबल सीटों में कमी हो। कानून के अनुसार परिसीमन जनगणना के बाद, परिसीमन अधिनियम संसद पारित करे। आयोग का गठन करे जो भारत निर्वाचन आयोग के साथ सहयोग करते हुये कार्य करे। प्रत्येक राज्य के लिये एक विधानसभा हो। 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पाण्डीचेरी में यह व्यवस्था है।

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि परिसीमन का विवाद देश के लिये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यह कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि बीजेपी उत्तर में अच्छी स्थिति में है अत: वह परिसीमन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी करना चाहती है। बीजेपी से जो पार्टियां विरोध में है वे एक साथ खडी होकर उत्तर दक्षिण की लडाई को हवा देना चाहती है। चेन्नई में हुई जोइन्ट एक्शन कमेटी की मीटिंग में यह स्पष्ट दिखाई दिया कि विपक्ष के साथ दक्षिण की पार्टियों के अतिरिक्त पंजाब व उडीसा के राजनेता भी साथ दे रहे हैं। इण्डिया के सभी घटक दलों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। इस प्रकार उत्तर दक्षिण का विवाद पुन: जिन्दा हो उठा है। जोइन्ट एक्शन कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है कि परिसीमन पर लगी रोक, जिसका उल्लेख ऊपर किया है, इसे 25 वर्ष और बढ़ाकर 2050 तक कर दिया जावे। अन्यथा उत्तर का वर्चस्व हो जावेगा। अनुच्छेद 82 के अनुसार मियाद 2026 में समाप्त हो रही है। तेलंगाना के नेता यह कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन सम्भव है किन्तु लोकसभा की सीटें न बढ़ाई जावें। उनका विश्वास है कि अनुसूचित व जनजाति के आरक्षित सीटें बढ़ाई जावें और 33% महिला आरक्षण देने से समस्या का समाधान हो सकता है। लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 है इनमें 24% सीटें अर्थात् 130 सीटें दक्षिण राज्यों की हैं, इसे 33% बढाया जावे। गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि दक्षिण राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी। वित्तमंत्री का कहना है कि परिसीमन केवल जनसंख्या आधारित नहीं है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की नीति की पालना की है अत: उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता। असमंजस्य की स्थिति है, पिक्चर स्पष्ट नहीं है। विवाद है, इसका समाधान तो ढूंढना ही होगा। देश विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है, इसकी गति नहीं रूकनी चाहिये।

प्रश्न है क्या परिसीमन पर लगी रोक को 25 वर्ष और नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे 2050 तक विवाद पर रोक लग जावेगी। संविधान के अनुच्छेद 82 में जो संशोधन 2026 के पश्चात् की गई जनगणना के आंकडे प्रकाशित नहीं होने तक के बाबत है, वैसा ही प्रावधान संविधान संशोधन किया जावे। नेताओं के संग वार्ता व चर्चा कर समस्या का सर्वमान्य हल तलाशना ही देश हित में होगा। भारत विकास के मार्ग पर है, उसकी गति नहीं रूकनी चाहिये। हमें भारत को विकसित देश बनाना है। जहाँ देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय समता, समानता व समरसता से प्राप्त हों।

भारत, तेरी जय हो, जय हो, जय हो!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

परिसीमन: लोकतंत्र की नई रूपरेखा और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में कदम

राजेन्द्र राठौड़

दुनिया भारत को लोकतंत्र की जननी कहती है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिले और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में संतुलित मतदाता संख्या हो। इन दिनों देशभर में लोकसभा / विधानसभाओं के परिसीमन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं व बहस जारी है।

संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित उचित प्रतिनिधित्व के प्रावधान के अनुसार लोकसभा के सांसद को 5 लाख से साढे 7 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिये परन्तु 1976 से अब तक परिसीमन पर 84वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 2026 तक लोकसभा / विधानसभा के परिसीमन व पुनर्निर्धारण पर लगी रोक के कारण वर्तमान में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हो गई।

समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और सामाजिक संरचना में बदलाव के कारण परिसीमन की जरूरत इसलिए भीबढ़ जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मतदाता की आवाज समान रूप से सुनी जा सके।इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निर्धारित समयावधि के बाद संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससेलोकसभा और विधानसभाओं के क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित और मतदाताओं की संख्या पुनर्निर्धारित की जाती हैं। वर्तमान में जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण जनप्रतिनिधि निर्धारित संख्या से कहीं ज्यादा आबादी का नेतृत्व कर रहे हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार जब पूर्व में लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया था तब देश की आबादी 55 करोड़ थी जो आज 145 करोड़ से ज्यादा है।मौजूदा जनसंख्या के अनुसार अब एक सांसद 30 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाई जाना समय कीस्वाभाविक संवैधानिक मांग है।

यह भी सही है कि पिछले पाँच दशकों में देश में जनसंख्या में वृद्धि असामान्य तौर से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है। अब परिसीमन को लेकर तमिलनाडु व कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्य इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि उनको भय सता रहा है कि यदि लोकसभा सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 81 के आधार पर निर्धारित की गई तो उन्हें नुकसान होगा क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया है। इन राज्यों का यह मानना है कि परिसीमन होना उनके द्वाराकिये गये अच्छे कार्यों के लिए दंड देने के समान ही है। इसी कारण से दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दल आगामी 25 तक लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के लोगों को आश्वस्त किया है कि दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा की एक सीट भी कम नहीं होगी। अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो दक्षिण भारत के राज्यों को उचित हिस्सा मिलेगा। वर्तमान में दक्षिण के पांच राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के राज्यो में लोकसभा के 543 सदस्यों में से 130 सदस्य चुनकर आते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 82का यह प्रावधान है कि देश में प्रत्येक जनगणना के बाद संसद परिसीमन आयोग का गठन करेगी। यह आयोग दो प्रमुख कार्य करेगा। पहला –लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा ताकि जनसंख्या के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करेगा जिससे इन वर्गों को संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं संविधान का अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभाओं की सीटों के निर्धारण से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सीटें तक हो सकती हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार हर 10 वर्ष पर जनगणना होगी और उसके आंकड़ों के आधार पर हर 10 वर्ष में परिसीमन होगा और लोकसभा / विधानसभाओं में आवश्यकता होने पर सीटों में बढ़ोतरी होगी। संविधान में प्रावधान किया गया है कि हर परिसीमन के लिए जनगणना के बाद नए आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

भारत में परिसीमन की यह परंपरा 1951 की पहली जनगणना से शुरू हुईजब संविधान के तहत पहली बार परिसीमन आयोग गठित किया गया था। अब तक भारत में चार बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है- 1952, 1963, 1973 और 2002 में। इस आयोग को संविधान द्वारा विशेष शक्तियां और स्वायत्तता प्रदान की गई हैं जिससे इसके निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

1952 में भारत में कुल 489 लोकसभा सीटें थीं, जो 1973 में बढ़कर 543 हो गईं। हालांकि 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के तहत परिसीमन पर 25 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी।

इसके बाद 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 25 वर्षों के लिए परिसीमन को और टाल दिया। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2001 के संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या अब 2026 के बाद ही बढ़ाई जा सकती है।

अंतिम परिसीमन के बाद से लेकर अब तक जनसंख्या में बड़ा बदलाव आया है, जिससे कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अत्यधिक हो गई है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम मतदाता हैं। इससे एक असंतुलन पैदा हो गया हैजो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

आज देश में सांसदों पर जनप्रतिनिधित्व का असंतुलन एक गंभीर चुनौती बन चुका है। लक्षद्वीप में एक सांसद मात्र 48,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक सांसद 20-30 लाख लोगों की समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों की आवाज उतनी प्रभावी ढंग से संसद में नहीं पहुंच पाती। इसलिए परिसीमन वर्तमान की आवश्यकता है। भारत में प्रति सांसद औसत जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। उदाहरण के लिए अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का एक सदस्य लगभग 7.4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटेन में यह संख्या मात्र 1.2 लाख है।

लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन किया जाता है। इसका उद्देश्य भी यही है कि हर वर्ग के नागरिक को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिले। चुनाव के दौरान आरक्षित सीटों की बात कई बार की जाती है। इसलिए जब भी परिसीमन किया जाता है, तब अनुसूचित वर्ग के हितों को ध्यान में रखने के लिए आरक्षित सीटों का भी निर्धारण संवैधानिक प्रावधानो के अनुसार होता है।

एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत के तहत, हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। परिसीमन का उद्देश्य प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना हैजिसमें जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह अकेला निर्धारक नहीं हो सकता। जैसे एससी-एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें पहचान-आधारित प्रतिनिधित्व दर्शाती हैं, वैसे ही राज्यों का प्रतिनिधित्व भी केवल जनसंख्या पर निर्भर नहीं रह सकता। लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए यदि 33 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाती हैं तो कुल सीटों की संख्या 725 हो जाएगी। यह न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त करेगा बल्कि देश की लोकतांत्रिक संरचना को भी अधिक समावेशी बनाएगा। केंद्र सरकार परिसीमन की प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी राज्यों को समान अवसर मिले और देश की संघीय संरचना मजबूत हो। साथ ही दक्षिण राज्यों की सभी आशंकाओं को भी दूर कर रही है।

परिसीमन केवल राजनीतिक संतुलन का मुद्दा नहीं बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा-"एक नागरिक-एक वोट-एक मूल्य"-के सिद्धांत को सुनिश्चित करने का एक जरिया भी है। यदि इसे निष्पक्षता और समावेशी दृष्टिकोण से लागू किया जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत प्रभावी और प्रगतिशील बना सकता है।

-राजेन्द्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष

सांवलिया जी सेठ के भंडार से 4.87 करोड़ रुपए की आमद

गत 28 मार्च को खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती दो चरणों में संपन्न

भंडार से निकली राशि की मंदिर कर्मचारियों ने गिनती की।

मंडफिया, (निसं)। भगवान श्री सांवलियाजी के दरबार में गत 28 मार्च को खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती दो चरणों में संपन्न हुई

मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर ने बताया बुधवार शाम को संपन्न हुई दूसरे चरण की गिनती से 7 लाख 2 हजार 895 रूपए की नगद प्राप्ति हुई। इससे पूर्व प्रथम चरण में हुई भंडार गिनती से 4 करोड़ 80 लाख 27 हजार 911 रूपए नगद प्राप्त हुई थे। प्रशासनिक अधिकारी टेलर ने बताया कि दोनों चरणों की गिनती को मिलाकर भंडार से 4 करोड़ 87 लाख 30 हजार 806 रुपए नगद प्राप्त हुए। टेलर ने बताया कि भंडार से निकले सोने-चांदी एवं मंदिर कार्यालय में जमा सोने चांदी का तोल भी किया गया, जिसमें भंडार से 60 ग्राम सोना व 18 किलो 900 ग्राम चांदी प्राप्त हुई एवं मंदिर कार्यालय से 33 ग्राम 900 मिलीग्राम सोना एवं 28 किलो 685 ग्राम चांदी भेंट स्वरूप प्राप्त हुई। भंडार गिनती में भादसोड़ा नायब तहसीलदार शिवशंकर पारीक, प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर, मंदिर प्रभारी राजेंद्र कुमार शर्मा, संपदा प्रभारी भेरुगिरी गोस्वामी, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह राजपूत, लेहरी लाल गाडरी, कालूलाल तेली, बिहारीलाल गुर्जर, जितेन्द्र त्रिपाठी सहित मंदिर एवं बैंक कर्मचारी उपस्थित थे।

स्कूटी नहीं मिलने पर छात्राओं का प्रदर्शन

डूंगरपुर, (निसं)। जिले में काली बाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में सत्र 2022-23 की एक हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी का आज भी इंतजार है। स्कूटी नहीं मिलने से परेशान छात्राओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर 15 दिन में स्कूटी वितरण की मांग की है। वहीं 15 दिन में स्कूटी नहीं मिलने पर उग्र आन्दोलन की चेतावनी दी है।

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में सत्र 2022-23 में चयनित मेधावी छात्राएं गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान स्कूटी नहीं मिलने से परेशान छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्राओं ने बताया कि कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में सत्र 2022-23 में एक हजार 168 छात्राओं का चयन हुआ था, जिसमें से 168 छात्राओं को तो स्कूटी का वितरण किया जा चुका है। वहीं शेष एक हजार छात्राओं को आज तक स्कूटी का वितरण नहीं हुआ है, जबकि सत्र 2023-24 की छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। छात्राओं ने बताया कि वर्ष 2024 में उनके नाम से स्कूटी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। स्कूटियां टीवीएस कम्पनी के डीलर के गोदाम में पड़े-पड़े खराब हो रही हैं, लेकिन सरकार ने उन स्कूटियों का अभी तक भी वितरण नहीं किया है। मेधावी छात्राओं ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन देकर 15 दिन के अंदर स्कूटी का वितरण करने की मांग की है।

मंदिर और पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा

डूंगरपुर, (निसं)। ग्राम पंचायत माडा के लोगों ने गुरुवार को कलेक्ट्री के सामने प्रदर्शन किया। लोगों ने मंदिर, सार्वजनिक जमीन और पार्क की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नारेबाजी की। प्रशासन से अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की गुहार लगाई।

ग्राम पंचायत माडा के सरपंच, उप सरपंच रमेश लबाना, पंचायत समिति सदस्य, वार्डपंच समेत गांव के लोग गुरुवार को कलेक्ट्री पहुंचे। लोगों ने कलेक्ट्री के सामने अवैध अतिक्रमण को लेकर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि ग्राम पंचायत माडा में मुख्य आबादी भूमि खसरा नंबर 3039 रकबा 0.1000 है। इस खसरे में राधाकृष्ण मंदिर, माताजी मंदिर, महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, प्राइमरी भवन पुराना, सामुदायिक भवन ओर पार्क की भूमि है। ये पूरी जमीन गांव की सामूहिक है, लेकिन इस जमीन पर गांव के प्रभु पुत्र पाडजी लबाना, शंकर पुत्र पाडजी लबाना, प्रशांत पुत्र पाडजी लबाना की ओर से अवैध अतिक्रमण कर लिया है।

राशिफल शुक्रवार 4 अप्रैल, 2025

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, आर्द्रा नक्षत्र शनिवार प्रात: 5:32 तक, शोभन योग रात्रि 9:45 तक, गर करण प्रात: 8:57 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रात्रि 8:13 से आरम्भ होगी। आज से जैन ओली और दुर्गा पूजन (बंगाल) आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:51 तक, लाभ-अमृत 7:51 से 10:57 तक, शुभ 12:29 से 2:02 तक, चर 5:08 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:24, सूर्यास्त 6:39

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

वृष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आज मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मन में असंतोष बना रहेगा। आज स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आज संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृश्चिक
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज बनते कार्य बिगड़ने का भय है। भावनात्मक कारणों से परेशानी हो सकती है।

धनु
घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कुंभ
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

मीन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।